न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 11/2018 – निगरानी

1. अशोक पुत्र रामकरण जाट निवासी दांतड़ा तहसील हुरडा 2. गोवर्धन पुत्र सुरजकरण जाट निवासी दांतड़ा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. तेजु पुत्र रामा बलाई मृतक के बजाय केली पत्नी तेजु बलाई निवासी दांतडा तहसील हुरडा 2. ग्राम पंचायत दांतडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दांतड़ा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत दांतड़ा निर्णय दिनांक 07.05.1993

उपस्थित –

1. श्री रामेश्वर लाल जाट अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री छोटूलाल माली अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 02.07.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान् के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दांतड़ा की आराजी नं. 620 ग्राम पंचायत दांतड़ा की आबादी भूमि नही थी। फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा आराजी सं. 620 में पटटा जारी कर दिया गया। गैर निगराकार सं. 01 ने दिनांक 06.05.1993 को पटटा जारी करना दर्शाया है, जबकि यह भूमि दिनांक 06.05.1993 को बिलानाम थी। दिनांक 10.11.2014 को ग्राम पंचायत दांतड़ा के नाम यह भूमि आबादी में दर्ज रिकार्ड की गयी। तथाकथित पटटे में तीन ओर आबादी पडत दर्शा रखी है। जबकि प्रस्तावित भूमि के पड़ौस में कोई आबादी नही थी। पटटे में कोई पत्रावली सं., पटटा संख्या अंकित नहीं है। इससे जाहिर हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई पत्रावली कायम नही की गयी। पंचायत राज नियमों के तहत पटटा जारी नही किया गया है। पटवार हल्का से कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की गयी और कोई नजरी नक्शा भी नही बनाया गया तथा आपत्ति पत्र भी जारी नही किये गये। गैर निगराकार सं. 01 भूमिहीन नही था। फिर भी ग्राम पंचायत दांतड़ा द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को निःशुल्क पटटा जारी कर भूल की है। इस कारण पटटा निरस्त होने योग्य हैं। गैर निगराकार सं. 01 ने पटटे की किसी शर्त की पालना नही की है। पटटे की भूमि पर किसी तरह का निर्माण नहीं है। आंवटन शर्तों का उल्लघंन करने से पटटा निरस्त होने योग्य हैं। दिनांक 13. 02.2018 को स्थायी लोक अदालत के आदेश से कमिश्नर अतिक्रमण का मौका मुआयना करने के लिए ग्राम दांतडा में आये तब गैर निगराकार सं. 01 ने अन्य ग्रामवासियों के समक्ष पटटे की प्रति पेश की तब उक्त पटटे की जानकारी हुयी। जानकारी दिनांक से निगरानी आवेदन पत्र अंदर अवधि पेश हैं। पटटा जारी दिनांक 06.05.1993 से जानकारी दिनांक 13.02.2018 तक की समयावधि को कण्डोन करने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत दांतड़ा द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में दिनांक 06.05.1993 को जारी पटटा निरस्त किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 16.02.2018 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत दांतड़ा से पत्रावली तलब की गयी। गैर निगराकार सं. 01 की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 13 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर निगराकार सं. 01 ने दिनांक 06.05.1993 को पटटा जारी करना दर्शाया है, जबकि यह भूमि दिनांक 06.05.1993 को बिलानाम थी। दिनांक 10.11.2014 को ग्राम पंचायत दांतड़ा के नाम यह भूमि आबादी में दर्ज रिकार्ड की गयी। तथाकथित पटटे में तीन ओर आबादी पडत दर्शा रखी है। जबकि प्रस्तावित भूमि के पड़ौस में कोई आबादी नही थी। पटटे में कोई पत्रावली सं., पटटा संख्या अंकित नहीं है। इससे जाहिर हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई पत्रावली कायम नही की गयी। पंचायत राज नियमों के तहत पटटा जारी नही किया गया है। पटवार हल्का से कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की गयी और कोई नजरी नक्शा भी नही बनाया गया तथा आपत्ति पत्र भी जारी नही किये गये। गैर निगराकार सं. 01 भूमिहीन नही था। फिर भी ग्राम पंचायत दांतड़ा द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को निःशुल्क पटटा जारी कर भूल की है। इस कारण पटटा निरस्त होने योग्य हैं। गैर निगराकार सं. 01 ने पटटे की किसी शर्त की पालना नही की है। पटटे की भूमि पर किसी तरह का निर्माण नहीं है। आंवटन शर्तों का उल्लघंन करने से पटटा निरस्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत दांतड़ा द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में दिनांक 06.05.1993 को जारी पटटा निरस्त किया जावे।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार को ग्रामवासियों की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। निगराकार का इसमें कोई हित निहीत नही हैं, न ही किसी प्रकार से विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है। गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया पटटा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /कारीगर / लघु व सीमान्त कृषकों को आबादी भूमि में पंचायत राज अधिनियम के नियमानुसार कार्यवाही करते हुये दिनांक 06.05.1993 को निःशुल्क जारी किया गया है। जिस पर गैर निगराकार सं. 01 अपने दादा के समय से 50-60 वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहा है। पटटा दिनांक 06.05.1993 को जारी किया गया जबकि निगरानी दिनांक 15.02.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है जो 25 वर्षों बाद यह निगरानी प्रस्तुत की है जो समयावधि (टाईम बार्ड) होने के कारण कानून मियाद अधिनियम के अनुसार चलने योग्य नही होने के कारण खारिज होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे। गैर निगराकार सं.01 के अधिवक्ता ने वादग्रस्त जायदाद की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सर्वप्रथम निगरकार की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। निगराकार ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर निगराकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये निगरानी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत दांतड़ा द्वारा दिनांक 06.05.1993 को आबादी भूमि का निःशुल्क पटटा जारी किया

गया। ग्राम पंचायत दांतड़ा की पत्रावली सं. 01/93 के परीक्षण अनुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत दांतड़ा द्वारा पटटा जारी करने पूर्व तीन पंचों की कमेटी नही बनायी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा भी नही पाया गया। पटटाधारी गैर निगराकार सं. 01 का आवेदन भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह सिद्ध नहीं होता हैं कि आराजी सं. 620 ग्राम पंचायत दांतड़ा की आबादी भूमि है अथवा नही ? न ही ऐसा कोई दस्तावेज गैर निगराकार अधिवक्ता ने पेश किया हैं। पटटा दिनांक 06.05.1993 को ग्राम दांतड़ा के आराजी नं. 620 रकबा 14.14 बीघा भूमि किस्म गे.मु. आबादी बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड थी। बिलानाम भूमि में आबादी का पटटा जारी करना विधि विरूद्व हैं। गैर निगरकार सं. 01 के पक्ष में पटटा जारी करने के पश्चात् आराजी नं. 620 दिनांक 10.11.2014 को ग्राम पंचायत दांतड़ा के नाम गे. मु. आबादी में दर्ज हुयी है। ग्राम दांतडा के आराजी सं. 620 की जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार उक्त आराजी में नामान्तरकरण सं. 2852 दिनांक 10.06.20158 से 0–686 हैक्ट. भूमि भा0रा0रा0 प्राधिकरण 148 डी भीम से गुलाबपुरा, उनियारा हुरडा सैक्शन के नाम दर्ज हुयी एवं नामान्तरकरण सं. 3056 दिनांक 07.07.2017 से 0–1919 हैक्ट. भूमि भा.रा.रा. प्राधिकरण 148 डी भीम गुलाबपुरा, हुरडा सैक्शन के नाम दर्ज हुयी। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को जारी पटटे में ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्यवाही की गयी, पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 149 में विहित प्रकियाँ की स्पष्ट उल्लघंना प्रतीत होती हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अंतर्गत धारा 97 स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत दांतड़ा द्वारा दिनांक 06.05.1993 को बिलानाम भूमि में आबादी का पटटा गैर निगराकार सं 01 के पक्ष में जारी किया गया जो विधि विरूद्व हैं एवं पटटा जारी करते समय गैर निगराकार सं. 02 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 149 में विहित प्रकियाँ की स्पष्ट उल्लघंना की जाने से गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 06.05.1993 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत दांतड़ा पंचायत समिति हुरडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)